

20.7.21 उपखण्ड अधिकारी

श्री/श्री

पार्थी स्व वकील पार्थी उपस्थित नहीं। बार  
बार आवाज दिलाई गई। किन्तु कोई  
उपस्थित नहीं आया। प्राण पत्र सारहीन  
होने के कारण अदमा हाजिरी स्व अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)